भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4916
दिनांक 23.07.2019

कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएं

4916. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा विगत पांच वर्षों के दौरान उनका कार्यकरण कैसा रहा है और उन्हें कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) क्या कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान आवंटित निधि का फलदायी उपभोग कर सके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) देश में निजी कृषि विश्वविद्यालयों की स्थान-वार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है;

(ङ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई परिषद/समिति का गठन करने पर विचार करेगी?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) केंद्र सरकार के अधीन तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) नामत: केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फ़ाल, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएलबीसीएयू), झाँसी, डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (डॉ॰ आरपीसीएयू), पूसा, बिहार तथा चार

भाकृअप- मानद विश्वविद्यालय नामत: राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई), इज्जतनगर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली, केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), मुंबई कार्यरत हैं। इसके अलावा, 101 भाकृअप-अनुसंधान संस्थान/अनुसंधान केंद्र/परियोजना निदेशालय/ ब्यूरो तथा 11 भाकृअप-कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (अटारी) हैं। उपर्युक्त कृषि विश्वविद्यालयों/ संस्थानों का मुख्य कार्य कृषि, कृषि वानिकी, पशु पालन, मत्स्य पालन, गृह विज्ञान तथा सम्बद्ध विज्ञान विषयों में, शिक्षा, अनुसंधान तथा इसके अनुप्रयोग की योजना बनाना, कार्यान्वयन, सहायता करना, प्रोत्साहन तथा समन्वय करना है।

पिछले पाँच वर्षों के लिए तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों को निधियों के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया है:

राशि (रू. करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	119.00	165.99	120.00	120.00	191.20	716.19
रानीलक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय	2.00	10.00	35.49	33.50	43.16	124.15
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	-	-	50.19	82.09	132.10	264.38
कुल	**121.00**	**175.99**	**205.68**	**235.59**	**366.46**	**1104.72**

पिछले पाँच वर्षों के लिए भाकृअप संस्थानों को निधियों के आबंटन का विवरण नीचे दिया गया हैं:

राशि (रू. करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
मानद विश्वविद्यालयों सहित भा.कृ.अ.प. के संस्थान	5258.46	5077.87	6073.22	6549.02	7466.00	30424.57

(ख) जी, हाँ।

पिछले 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के संबंध में निधि उपयोग की प्रतिशतता का विवरण:

केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय(सीएयू)	**उपयोग(%)**
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) इम्फाल	99.71
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (आरएलबीसीएयू)	96.79

डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (डॉ॰आरपीसीएयू), पूसा	100.00

पिछले 5 वर्षों के दौरान संस्थानों के संबंध में निधि उपयोग की प्रतिशतता का विवरण:

संस्थान	**उपयोग (%)**
मानद विश्वविद्यालयों सहित भाकृअप के अधीन संस्थान	**95.19**

(ग) चूंकि कृषि शिक्षा राज्य का विषय है, निजी कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार के अनुमोदन से की जाती है।

(घ) निजी विश्वविद्यालयों में दाखिला संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय **(**सीएयू) में दाखिला भाकृअप/राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के संबंध में कुल सीटों के 85% तक पूर्वोत्तर राज्यों से छात्रों के दाखिले का प्रावधान है। चार मानद विश्वविद्यालयों (एनडीआरआई, आईवीआरआई, सीआईएफई तथा आईएआरआई) में भाकृअप/एनटीए/संबंधित मानद विश्वविद्यालय के माध्यम से दाखिला किया जाता है।

(ड.) जी, हाँ।

(च) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं। निजी कृषि विश्वविद्यालय संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), केंद्र सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जो विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (एनएईएबी) के माध्यम से प्रत्यायन का कार्य करता है।

****